

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1812] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2016/आषाढ़ 28, 1938 No. 1812] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2016/ASADHA 28, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2016

का. आ. 2461(अ).—जबिक, केन्द्र सरकार का यह मत है कि आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के सभी अथवा कुछ उपबंधों के प्रचालन से शस्त्रों के कुछ विवरण को हटाना जनहित में अनिवार्य और समीचीन है।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्न तालिका के कालम 1 में विनिर्दिष्ट विवरण वाले शस्त्रों को उक्त अधिनियम के ऐसे उपबंधों, जो उक्त तालिका के कालम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, से हटाती है।

तालिका

हटाए गए शस्त्र	अधिनियम के उपबंध
1	2
1. "आग्नायुध प्रतिकृति"	धारा-5 को छोड़कर सभी धाराएं
(कोई वस्तु किसी आग्नायुध की सदृश्य डिजाइन की हुई	
कोई वस्तु अभिप्रेत है जिससे कि सभी प्रायोगिक	
प्रयोजनों के लिए यह प्रतीत हो कि वह वास्तविक है	
और जिसे निष्क्रिय बना दिया गया है;)	

[फा. सं. वी-11026/104/2014-आर्म्स (वॉल III**)**]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव (आई.एस.II)

3622 GI/2016 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2016

S.O. 2461(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exclude certain descriptions of arms from the operation of all or some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of the said Act, the Central Government hereby excludes the arms of the description specified in column (1) of the table herein below from such of the provisions of the said Act as are mentioned in column (2) of the said table.

TABLE

Arms Excluded	Provisions of the Act
(1)	(2)
1. Firearm replicas	
(An object designed to resemble a firearm which has an appearance that is so realistic as to make it indistinguishable for all practical purposes, from a real firearm and which has been rendered innocuous)	All sections, except 5

[F. No. V-11026/104/2014-AMS (VOL-III)]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy (IS-II)